

कार्यालय अधिष्ठाता :: नेताजी सुभाष चन्द्र बोस
मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक/स्था/राज/20/ 398

जबलपुर दिनांक 10 /01/2020

विज्ञप्ति सूचना

म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक सी 5-1/2017/एक-3 दिनांक 29 सितंबर 2017 द्वारा जारी म.प्र. सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम, 2017 एवं मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 2-06/2018/1-55 दिनांक 07/04/2018 द्वारा जारी म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय सेवा आदर्श सेवा नियम 2018 के अंतर्गत स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर के ईएनटी विभाग में प्राध्यापक 01 (एक) के रिक्त पद की पूर्ति हेतु संविदा आधार पर किया जाना है। उक्त पद हेतु पात्रताधारी योग्य उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 17/01/2020 सांय 05:30 बजे तक अधिष्ठाता कार्यालय चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर म.प्र. 482003।

नोट :-

1. पदों की संख्या अधिक/कम की जा सकती है।
2. भर्ती की प्रक्रिया एवं सेवा शर्तों की विस्तृत जानकारी एवं आवेदन का प्रारूप चिकित्सा महाविद्यालय की वेबसाईट पर www.nscbmc.ac.in पर उपलब्ध है।
3. विज्ञापित पदों के आरक्षण एवं नियुक्ति संबंधी समीचिन नियमों एवं भविष्य में नियुक्तियों के संबंध में अन्यथा लिये गए शासकीय निर्णय के अधीन नियुक्ति/पदोन्नतिया रहेंगी एवं अभ्यर्थी नियुक्ति निरस्त होने की दशा में नियुक्ति के संबंध में अधिकार के रूप में मांग नहीं कर सकेंगे।


अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस
मेडिकल कालेज जबलपुर

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर में संविदा आधार पर प्राध्यापक ईएनटी विभाग के पद की पूर्ति संबंधी विवरण

1. **वेतनमान** – संविदा नियुक्ति हेतु निश्चित वेतन:-
 1. प्राध्यापक :- 75000/- (पचहत्तर हजार मात्र) रूपये प्रतिमाह या सेवानिवृत्ति से पूर्व आहरित अंतिम वेतन की राशि में से पेंशन की राशि घटाकर शेष राशि, में से जो भी न्यूनतम राशि होगी का एक मुश्त भुगतान संविदा वेतन के रूप में किया जायेगा।
 2. संविदा पद हेतु अधिकतम 70 वर्ष की आयु तक दी जा सकेगी।

टीप – आयु की गणना विज्ञापन जारी होने वाली तिथि के पश्चात आने वाली 01 जनवरी के दिनांक को आधार मानकर गणना में ली जावेगी।

2. पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा।
3. **जाति प्रमाण पत्र** : आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जायेगा।
4. **अर्हताये:-** (1) संविदा नियुक्ति के मामलों में म.प्र. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्त) नियम, 1961 के नियम 5 एवं 6 में विहित है एवं न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएँ एवं अन्य अर्हताएँ वही होंगी जो उक्त पद हेतु विभागीय भर्ती नियमों में विहित है।
(2) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा प्राध्यापक ईएनटी हेतु निर्धारित अर्हताएं।

5. सेवाशर्तें

1. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 से शासित होंगे।
2. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को संविदा सेवा की अवधि के लिये किसी भी प्रकार की पेंशन, उपदान या मृत्युलाभ आदि की पात्रता नहीं होगी साथ ही वार्षिक वेतन भी देय नहीं होगी।
3. संविदा नियुक्त अधिकारी का गोपनीय प्रतिवेदन/पीएआर (परफारमेंस एपराइजल रिपोर्ट) लिखा जायेगा ताकि यदि आगामी वर्ष हेतु उसे पुनः संविदा नियुक्ति दी जानी हो तो इसके आधार उसके कार्य का मूल्यांकन हो सके।
4. यह संविदा नियुक्ति पूर्णतः शैक्षणिक कार्य हेतु होगी। संविदा पर नियुक्त प्राध्यापक को किसी भी प्रकार का प्रशासकीय दायित्व अथवा विभागाध्यक्ष संबंधी दायित्व नहीं सौंपा जायेगा।
5. सेवानिवृत्त शासकीय सेवक की संविदा नियुक्ति के दौरान उसे/उन्हें अन्य कार्यालय में समकक्ष पद पर स्थानांतरित किया जा सकेगा और उसे/उन्हें संविदा नियुक्ति पद के कार्य के साथ-साथ अन्य पद का अतिरिक्त दायित्व भी सौंपा जा सकेगा, जिसे स्वीकार करना उसके/उनके लिए बाध्यकारी होगा।
6. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को अपने परिवार की सामाजिक सुरक्षा के लिये संविदा वेतन की कम से कम 10 प्रतिशत राशि जीवनबीमा पेंशन योजना अथवा ईपीएफ में जमा करनी होगी तथा इस बात की सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को देने होगी कि अधिकारी द्वारा किस योजना का वर्णन किया गया है; परन्तु ये प्रावधान सेवानिवृत्त सेवकों पर लागू नहीं होगा।
7. संविदा पर नियुक्त सेवानिवृत्त व्यक्ति सेवानिवृत्ति के समय यदि शासकीय आवास में रह रहा हो तो उसे शासकीय आवास की पात्रता बनी रहेगी तथा उसे म.प्र. मूलभूत नियम 45-क के अनुसार लाईसेंस शुल्क की वसूली की जायेगी।


6. नियुक्ति की अवधि :-

1. रिक्त प्राध्यापक पद पर योग्य उम्मीदवार की नियुक्ति तक या एक वर्ष जो भी पहले हो।
2. नियम 4 (1) में उल्लेखित संविदा नियुक्ति के पदों पर, संविदा नियुक्ति प्रथम बार एक वर्ष से अनधिक अवधि हेतु होगी, किन्तु राज्य सरकार आवश्यकता के आधार पर संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन कर संविदा नियुक्ति को एक बार में अधिकतम एक वर्ष के लिये बढ़ाते हुए संविदा नियुक्ति के नवनीकरण का निर्णय ले सकेगी।
3. नियम 4 (1) में विनिर्दिष्ट पदों के सिवाय, संविदा नियुक्ति की कुल अवधि पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।
4. संविदा नियुक्ति की अवधि में दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या इसके अवज में एक माह का वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
5. संविदा नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जायेगी तथा सेवा समाप्त करने के लिये पृथक आदेश जारी करना आवश्यक नहीं होगा।

7. **अवकाश की पात्रता :-** इन नियमों के अधीन संविदा नियुक्त अधिकारी को अस्थायी शासकीय सेवकों के समान अवकाश की पात्रता होगी ।
8. **आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि :-** स्वशासी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर में आवेदन पत्र दिनांक 17/01/2020 सायंकाल 5:30 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिए। आवेदन पत्र डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से स्वशासी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर में जमा कराये जा सकते हैं। आवेदन पत्र के लिफाफे पर स्पष्ट रूप से स्वशासी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर में संवर्ग हेतु आवेदन एवं विषय तथा आवेदित पद का नाम एवं श्रेणी का उल्लेख अनिवार्य रूप से करें। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
9. **आवेदक शुल्क:-** अनारक्षित श्रेणी से 1000/- की बैंक ड्राफ्ट अधिष्ठाता नेताजी सुभाष चन्द्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर के नाम से देय होगा । आवेदन के साथ संलग्न करें । आवेदन शुल्क बिना प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
10. चयन प्रक्रिया हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
11. नियुक्ति संबंधी समीचिन नियमों एवं भविष्य में नियुक्तियों के संबंध में अन्यथा लिये गए शासकीय निर्णय के अधीन नियुक्तियां रहेंगी, एवं अभ्यर्था नियुक्ति निरस्त होने की दशा में नियुक्ति के संबंध में अधिकार के रूप में मांग नहीं कर सकेंगे।
12. उपरोक्त विज्ञापन की जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप स्वशासी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर म.प्र. की वेबसाईट www.nscbmc.ac.in पर उपलब्ध है।

महत्वपूर्ण टीप :-

1. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हतायें और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं करे ले और अर्हता की समस्त शर्तें पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी। आवेदक के विरुद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जांच न हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित होती हो, इस आशय से संबंधित घोषणा पत्र जो की आवेदन के प्रारूप में दिया गया है। यह शर्त भी उसमें समाहित रहेगी।
2. न्यायालय द्वारा न तो दोषी पाया गया है और न ही कोई प्रकरण किसी भी न्यायालय में विचाराधीन है इस संबंध में शपथपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।


 मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
 स्वशासी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस चिकित्सा
 महाविद्यालय जबलपुर

आवेदन का प्रारूप

नोट: सभी जानकारी आवेदक द्वारा पूर्ण की जावे।
(अंतिम तिथि 17/01/2020)

स्व प्रमाणित
फोटो

पद का नाम :- प्राध्यापक (संविदा)
विषय :- ईएनटी

ड्राफ्ट :- रुपये..... बैंक का नाम

1. आवेदक का नाम
2. पुरुष/महिला
3. पिता/पति का नाम (उपनाम सहित).....
4. वर्तमान निवास स्थान का पता (पिनकोड सहित).....
.....
शहर का नाम..... फोन नं.....
मोबाइल नं.....ईमेलआईडी.....
5. स्थाई पता.....
.....
शहर का नाम..... फोन नं.....
मोबाइल नं.....
6. पूर्व में कार्यरत पद :-.....कब से कबतक.....
7. सेवानिवृत्ति दिनांक :-
8. सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त मूलवेतन एवं मंहगाई भत्ता का विवरण :- (अंतिम वेतन प्रमाण पत्र संलग्न करें).....
9. आधार कार्ड नम्बर
10. जन्मतिथि (हाईस्कूल परीक्षा की अंकसूची संलग्न करें).....
11. दिनांक 01/01/2020 को आवेदक की आयुदिन माह वर्ष
12. आवेदक की वैवाहिक स्थिति:- विवाहित/अविवाहित
13. विवाह का दिनांक :-
14. वर्ग:- अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/
विकलांग (आरक्षित श्रेणी हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी
प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न करें)
15. मेडिकल काउन्सिल का पंजीयन क्रमांक एवं नाम तथा दिनांक
- अ. (एम.बी.बी.एस.).....
- ब. एमडी/एमएस.....
- स. एमसीएच/डीएम.....

16. शैक्षणिक योग्यताएँ:—(प्रमाण-पत्र एवं अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

क्र.	परीक्षा का नाम	संस्था/बोर्ड/वि.वि.	वर्ष	विषय	प्राप्तांक/पूर्णांक	एम.बी.बी.एस. के कुल प्राप्तांक/प्रतिशत	प्रयास (Attempt)
1	2	3	4	5	6	7	
1	MBBS First Prof.						
2	MBBS Second Prof.						
3	MBBS Final Part I						
4	MBBS Final Part II						
5	MD/MS/MCH/DM						
6	S.R						

(प्रत्येक वर्ष का पृथक-पृथक भरे)

नोट:— प्रत्येक परीक्षा के प्रयास (Attempt) प्रमाण पत्र अधिष्ठाता द्वारा प्रदत्त हो संलग्न करें।

17. शैक्षणिक अनुभव :-

क्रमांक	पदनाम	छायाप्रति संलग्न करें।
1	प्राध्यापक	
2	सह प्राध्यापक	
3	सहायक प्राध्यापक	

18. पात्रता के बाद अनुभव :-

क्रमांक	पदनाम	छायाप्रति संलग्न करें।
1	प्राध्यापक	
2	सह प्राध्यापक	
3	सहायक प्राध्यापक	

19. रिसर्च पब्लिकेशन :- छायाप्रति संलग्न करें।

क्रमांक	पदनाम	रिसर्च पब्लिकेशन
1	प्राध्यापक	
2	सह प्राध्यापक	

20. कुल संलग्न प्रमाण पत्रों की संख्या :-----

स्थान.....

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

दिनांक.....

// घोषणा-पत्र //

1. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं सत्य है। जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन पत्र/नियुक्ति पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
2. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मुझे न्यायालय द्वारा न तो दोषी पाया गया है और न ही मेरा कोई प्रकरण किसी भी न्यायालय में विचाराधीन है।

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर



CHECK LIST -01

Post of Professor (Contract basis) in ENT Department N.S.C.B

Medical College Jabalpur

Scrutiny of Document

Date:

Name of Candidate:

Category:

Age/Sex:

Marital Status (If Married age at marriage): No. of Children:

Subject: Professor ENT

Place: NSCB Medical College, Jabalpur

Place of work and designation (present):

Date of Retirement :

ORIGINAL DOCUMENT:

1. Date of Birth (High School Mark Sheet): Attached / Not Attached
2. MBBS Mark sheets: Attached / Not Attached
3. MBBS Degree: Attached / Not Attached
Year: College: MCI Recognized:
4. Registration of MBBS: Attached / Not Attached
5. Internship Completion Certificate: Attached / Not Attached
6. PG Degree(In same subject): Attempt: (Attempt certificate – Attached/Not Attached)
Subject: Year: College:
7. MBBS (MP STATE MEDICAL COUNCIL) Registration No. :
8. Post Graduation (MP STATE MEDICAL COUNCIL) Registration No.:
9. Certificate issued by Dean after PG: Attached / Not Attached
10. Certificate of teaching experience as Professor/Associate Professor/Assistant Professor:

S. NO.	POST	MEDICAL COLLEGE	DURATION
1.	Professor		
2.	Associate Professor		
3.	Assistant professor		



11. Publications in National/International, Index journals as per MCI As 1st /2nd /Corresponding Author. (Publication Enclosed)

S.NO.	DESIGNATION AT TIME OF PUBLICATION	DATE OF PUBLICATION
1	Professor	
2	Associate Professor	
3	Assistant Professor	

12. Certificate of Award if have:

13. Certificate of Fellowship: Subject

Duration:

14. Caste Certificate by Competent Authority:

15. MP Domicile (Yes/No)

Certificate:

16. Employers NOC if in Service (Government/Semi Government/Private):

17. Identity Card(Adhar Card/PAN Card/Driving licence/Voter ID):

Note:

1. NOC is not required for candidate applied in same Institute in which he/she work.

(Signature)

Name

(Scrutiny Officer)

(Signature)

Name.....

Date/01/2020

